

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश : जबलपुर

//आदेश//

क्रमांक **B/1568** / चार-12-14/10

जबलपुर, दिनांक **12** मार्च 2020

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 2446/21-ब दिनांक 15.4.2019 में दिये गये निर्देशों के तहत रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी/1174 दिनांक 15.3.2012 के सरल क्रमांक 3 में दर्शित श्री लक्ष्मण पवैया, क्रमांक बी/5222 दिनांक 7.12.2010 के सरल क्रमांक 24 में दर्शित श्री लाल सिंह दुवाशा एवं 26 में दर्शित श्री माईकल सेमुअल, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी का चयनग्रेड वेतनमान 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290/- में किये गये वेतन निर्धारण को एतद् द्वारा संशोधित किया जाकर उनका पुनरीक्षित वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र०	नाम	चयनग्रेड वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक	नियुक्ति दि० को एंटी वेतन मान में प्राप्त वेतन व दिनांक व चयनग्रेड वे०मा० में आगामी वे०वृ० का दिनांक	निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	श्री लक्ष्मण पवैया	2.1.2012 57700- 70290	60310.00 20.10.2011	61690.00	2.1.2012
सेवानिवृत्ति दिनांक 29.2.2012					
2.	श्री लालसिंह दुवाशा	30.9.2009 57700- 70290	58930.00 30.5.2009 30.5.2010 30.5.2011 30.5.2012	60310.00 61690.00 63070.00 64450.00	30.9.2009 1.5.2010 1.5.2011 1.5.2012
सेवानिवृत्ति दिनांक 30.6.2012					
3.	श्री माईकल सेमुअल	8.10.2009 57700- 70290	58930.00 30.5.2009 30.5.2010 30.5.2011 30.5.2012	60310.00 61690.00 63070.00 64450.00	8.10.2009 1.5.2010 1.5.2011 1.5.2012
सेवानिवृत्ति दिनांक 31.1.2013					

54/1 -
(अजय पवार)
रजिस्ट्रार (एम)

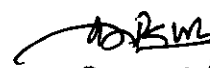
पृष्ठांकन क्रमांक **B/1569** / चार-12-14/10

जबलपुर, दिनांक **12** मार्च 2020

प्रतिलिपि :-

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मिण्ड/इंदौर/होशंगाबाद/गुना/बैतूल/की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
 2. श्री लक्ष्मण पवैया, से०नि० अपर जिला न्यायाधीश, 101-उपहार अपार्टमेंट, सेक्टर आर, 186-187 महालक्ष्मीनगर, इंदौर,
 3. श्री लालसिंह दुवाशा, से०नि० अपर जिला न्यायाधीश, वार्ड नं०-3, पुराना ग्राम, 8-नीलवर्ड, पो०आ० बरखेड़ी, भोपाल,
 4. श्री माईकल सेमुअल, से०नि० अपर जिला न्यायाधीश, ई-6, 160-अरेरा कालोनी, भोपाल
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

नोट - रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2018 दिनांक 1.3.2018 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है । अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें ।


रजिस्ट्रार (एम)